न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—321/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/321)

1. गोविन्दनारायण पुत्र भंवरलाल
2. सावरमल पुत्र भंवरलाल
3. दीनदयाल पुत्र भंवरलाल
4. मदनलाल पुत्र भंवरलाल
5. छीतरमल पुत्र रूपनारायण
6. देवकीनन्दन पुत्र छीतरमल
7. हरिप्रसाद पुत्र छीतरमल
8. विमलादेवी पुत्री छीतरमल
9. सुमन पुत्री छीतरमल
10. गिरधारी पुत्र श्री रूपनारायण
    समस्त जाति ब्राहमण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर। जरिए मुख्तयारआम श्री विकास शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी 01 खटीकों का मौहल्ला, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद गौड पुत्र स्व0 श्री आनन्दीलाल
2. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी स्व0 श्री आनन्दीलाल
3. बिमलादेवी पुत्री स्व0 श्री आनन्दीलाल
4. उर्मिलादेवी पुत्री स्व0 श्री आनन्दीलाल
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।
6. ARTASIA HOME LLP रजिस्टर्ड ऑफिस 292 ईपीआईपी, सीताराम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर जरिए पार्टनर संदीप मूंदडा पुत्र रामकृष्ण मूंदडा जाति महाजन निवासी फलेट नम्बर 717, यूनिक सांदी अपार्टमेंट महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।
7. रविकान्त लड्डा पुत्र कन्हैयालाल लड्डा जाति महाजन निवासी 9 रघुविहार, दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के सामने, दुर्गापुरा, जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 राजस्व वाद संख्या 36/2017.</u>

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश अरोडा/हसन खान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 6, 7
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—01.07.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 36/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 के पिता आनन्दीलाल पुत्र रामदेव ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट्स सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किए गए तत्पश्चात बिना रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किए बगैर सीधे ही लोकल अखबार साया में नोटिस अखबार साया करवा कर अपीलांट्स को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बगैर दिनांक 6.1.2020 को वादीगण का वाद डिक्री करने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 36/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया के तहत प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता व इसी प्रकार मियाद अधिनियम तकनीकि होने से तकनीकि आधार पर भी प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता इसलिए उपरोक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपीला का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत तामीली का प्रोसेजर दिया हुआ है जिसमें सर्वप्रथम साधारण नोटिस जारी किये जाते हैं तत्पश्चात रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस जारी किये जाते हैं एवं रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी करने के पश्चात तामील नहीं होने पर अखबार साया से तामील करवाने का प्रावधान है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में साधारण नोटिस जारी करने के पश्चात कोई रजिस्टर्ड ए.डी नोटि अपीलांट्स के नाम जारी नहीं किया गया एवं सीधे ही लोकल अखबार में नोटिस साया करवा कर बिना अपीलांट्स को प्रोपर तामील कराये सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत जाकर विद्वान सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किए जाने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में स्वयं वादीगण ने यह स्वीकार किया गया है कि बरवक्त सेटलमेन्ट जब पर्चा जारी किया गया तब वादग्रस्त आराजी का पर्चा रूपनारायण पिता विद्याधर ब्राहमण के नाम जारी किया गया। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के वक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के पूर्वज काबिज थे इसलिए बरवक्त सम्वत 2011 में पर्चा सेटलमेन्ट प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के पूर्वजों के नाम जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स का विवादित आराजी मुतनाजा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक कोई कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के ना तो खातेदारी उदघोषणा की जा सकती है एवं ना ही स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को पाबन्द किया जा सकता था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु के विपरीत जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 6.1.2020 पारित की है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उनके द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 6.1.2020 में विपक्षीगण के पक्ष में जो निर्णय व डिक्री पारित किया है वह खसरा गिरदावरी को आधार बनाते हुए पारित किया गया है जबकि खसरा गिरदावरी नोट ए राईट ऑफ रिकार्ड है अर्थात खसरा गिरदावरी के आधार पर कोई भी व्यक्ति खातेदारी उदघोषणा प्राप्त नहीं कर सकता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो कि प्रथम अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरूद्ध जाकर बिना प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को प्रोपर तामील कराये, बिना जवाब दावे का अवसर दिये बगैर एवं साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 6.1.2020 पारित की है जो कि प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 36/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 585 रकबा 0.46 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज० जिसकी वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम से दर्ज है। जो गलत है वास्तव में उक्त भूमि वादी के खातेदारी भूमि है एवं वादी मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार है। मौके पर काबिज काश्त है लगान खातेदारान के मार्फत राज्य सरकार को अदा करता आ

रहा है। वर्तमान में बारानी भूमि का लगान माफ है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 585 ग्राम मौखमपुरा का साबिक खसरा नम्बर 2253 रहा है। जो मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है उक्त ग्राम जागीर का ग्राम रहा है एवं बरवक्त जागीरदार ठाकुर मानसिंह जी रहे है तत्समय उक्त भूमि पर वादी एवं वादी के पिता रामदेव का कब्जा काश्त रहा है राज्य सरकार द्वारा जागीरी प्रथा समाप्त कर राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 लागू किया गया एवं प्रथम पर्चा सैटलमेंट विभाग द्वारा सम्वत 2011 से 2029 जारी किया गया। प्रथम पर्चा सैटलमेंट के समय ग्राम मौखमपुरा ग्राम बिचून गांव रहा है तथा वरवक्त सैटलमेंट की गलती से आराजी खसरा नम्बर साबिक 2253 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का गलत रूप से पर्चा रूपनारायण पिता विधाघर ब्राहम्ण साकिन देह के दर्ज कर दिया गया जो गलत किया चूंकि जमाना जागीर के समय से ही उक्त भूमि पर आनन्दीलाल पुत्र रामदेव का कब्जा काश्त रहा है एवं प्रथम पर्चा सैटलमेंट सम्वत 2011 का पर्चा वादी के हक में जारी किया जाना चाहिऐ था यहां यह भी अंकित किया जाना आवश्यक है कि जमाना जागीर ठाकुर मानसिंह जी की जागीरी का ग्राम मौखमपुरा में वादी के पिता रामदेव का कब्जा रहा है एवं रामदेव के जीवनकाल में ही वादी आनन्दीलाल ने विवादित भूमि पर काश्त किया। विवादित भूमि के चारो तरफ भूमि यथा खसरा नम्बर 2251, 2250, 2252, 2254 वादी के परिवारजन एवं वादी के हक में दर्ज कर दी गई परन्तु खसरा नम्बर 2253 गलत रूप से रूपनारायण पुत्र विधाधर के दर्ज कर दी गई खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय सम्वत 2011 से 2014, 2015 से 2018 में खसरा नम्बर 2253 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी अवल वादी के पिता रामदेव के हक में कोलम संख्या 6 में इन्द्राज यिका जाकर दिनांक 05.11.58 को मक्का, दिनांक 06.03.58 को उन्हालु बेजड एवं दिनांक 02.12.59 सावणु मक्का व उन्हालु गोज्यु काश्त का अंकन वादी के के फैलत 2020 के पश्चात खसरा गिरदावरी वादी के हक में इन्द्राज किया गया है। हक में किया गया है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2020 में भी वादी के हक में वादी के नाम से खसरा गिरदावरी में काश्त किया जाना अंकित है तथा इस प्रकार कभी भी विवादित भूमि रूपनारायण तथा उसके पश्चात उनके वारिशान प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त विवादित भूमि पर नहीं रहा है न ही विवादित भूमि प्रतिवादीगण का सम्बंध एवं सरोकार हे चूंकि खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 से 2019 व सम्वत 2031 से 2034 में बतौर काश्तकार वादी के हक में इन्द्राज किया गया है जिसेस बखूबी प्रमाणित एवं साबित है। उक्त भूमि का प्रथम पर्चा राजस्व सैटलमेंट द्वारा कब्जे के विरूद्ध वादी के बजाय रूपनारायण पुत्र विधाधर के गलत जारी कर दिया गया तत्पश्चात नामांतकरण संख्या 872 के द्वारा गलत रूप से घीसी देवी, रूपनारायण एवं तत्पश्चात जरिये विरासत नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के हक में दर्ज कर दियागया है एवं गंगासहाय पुत्र रूपनारायण द्वारा अपना हिस्सा 1/5 का नुमायशी बैचाननामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में दिनांक 28.05.2014 को कर दिया गया है। जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में नामांतकरण संख्या 539 दिनांक 13.06.16 के द्वारा किया गया है जो गलत है चूंकि समस्त इन्द्राजात बमुकाबले नुमाईशी व अवैधानिक इन्द्र जात है जिसे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 गंगासहाय को सर्जित नहीं होते है तथा गंगासहाय ने अपनी नुमाईशी व अवैधानिक रूप से दर्ज खातेदारी का बिना कब्जे दिनांक 28.5.14 को बिना कब्जा सुपुर्द किये कानून के विपरीत जाकर नुमाईशी इन्द्राज के आधार पर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है जिसका गंगासहाय पुत्र रूपनारायण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था न ही किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त थे तत्पश्चात जो विक्रय दिनांक 28.05.2014 को उपपंजीयक कार्यालय मौजमाबाद में बहक प्रतिवादी संख्या 1 गलत विधि विरूद्ध पंजीबद्ध करवाया है जो बमुकाबले वादी प्रभावशुन्य बातिल एंव बेअसर है उक्त शून्य दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं उक्त शून्य इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जमाना जागीर से आज तक विवादित भूमि पर निरन्तर रूप से बिना किसी बाधा रूकावट व्यवधान के वादी द्वारा अन्य खातेदारी भूमि में इकजाई व इकजाई रूप से मेड बांध कर व

सीमा कायम कर विवादित भूमि को अपने खातेदारी दर्ज भूमि में मिलाकर जमाना जागीर से आज तक बहैसियत खातेदार काश्त कर काबिज चला आ रहा है मौके पर कभी भी रूपनारायण या उनके वारिशान का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक में किये गये समस्त इन्द्राजात बमुकाबले वादी प्रभावशून्य बातिल एवं बेअसर है तथा उक्त दस्तावेजात दिनांक 28.05 2 नुमायशी व शून्य दस्तावेजात जिससे उन्हे किसी प्रकार के खातेदारी के आधार कानूनन प्रतिवादीगण किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी घोषणा खातेदारी प्राप्त करने व स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी मौके पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आ रहा है आज भी मौके पर काबिज काश्त है वादी अनपढ एवं मौके पर काबिज काश्त होने से एवं प्रतिवादी के बुजूर्ग रूपनारायण एवं तत्पश्चात व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 व गंगासहाय द्वारा यह विश्वास व भरोसा दिलवाया गया कि उक्त भूमि पर हमारा कब्जा नहीं है तथा हम जब आप चाहोगे विवादित भूमि आपके नाम लगवा देंगे। जिस पर वादी ने विश्वास व भरोगा कर लिया चूंकि रूपनारायण जी ग्राम बिचून में निवास करते थे जिस पर आपसी प्रेम व्यवहार से भरोसा कर लिया तथा रूपनारायण जी ने कभी भी अपने जीवनकाल एवं तत्पश्चात प्रतिवदी सख्या 2 लगायत 7 द्वारा कभी भी उज्र ऐतराज एवं वादी की खातेदारी मालिकाना हक व अधिकारो से कभी इन्कार नहीं किया था तथा वादी का मालिकाना हक व खातेदारी स्वीकार कर लिया था। वादी ने जब जब प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 को उक्त भूमि वादी के हक में इन्द्राज व नाम लगाने धाबत कहां तो प्रतिवादीगण ने कभी भी नाम लगवाने का विश्वास व भरोसा दिलाते रहे जिस पर वादी ने विश्वास कर लिया हाल ही में गंगासहाय द्वारा बिना कब्जे प्रतिवदी संख्या 1 को विकय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 08.03.2017 को जमाबंदी राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने से हुई जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 से सम्पर्क कर उक्त भूमि नुमाईशी विक्रय बनवाने पर ऐतराज व शेष भूमि नाम लगाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादी के नाम लगाने से स्पष्ट इंकार होकर वादी की खडी फसल चना उन्हालू नष्ट करने जबरन कब्जा कर वादी को कब्जे से बेदखल करने बैचान करने दिनांक 15.03.2017 को धमकी दी जिस पर वादी को आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करे तत्पश्चात आवश्यक राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया जाकर वाद प्रस्तुत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में वर्तमान रेस्पोडेंट की एकपक्षीय बहस सुनते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.01.2020 को उक्त प्रकरण को वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में डिक्री किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2020 से असंतुष्ट होकर वर्तमान अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय पर आक्षेप लगाए गए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को प्रोपर तामील कराए, बिना जवाब दावे का अवसर दिए एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिए एक तरफा तौर पर निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 पारित किया गया है व विवादित आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी/अपीलांट्स के पूर्वज काबिज थे इसलिए बरवक्त संवत 2011 में पर्चा सेटलमेंट प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के पूर्वजों के नाम

जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में वादीगण/रेस्पोडेंटस का विवादित आराजी मुतनाजा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से आज दिनांक तक कोई कब्जा काश्त नहीं है।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध किए गए कथनों का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए जाने के बाद यह तथ्य दृष्टिगत होते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किए जाने के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए थे परंतु प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए0डी किए जाने के आदेश पारित किए गए परंतु उसके पश्चात भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी जरिए अखबार साया किए जाने के आदेश दिनांक 3.9.2019 को पारित किए गए। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु राष्ट्रीय स्तर के अखबार दैनिक नवज्योति से प्रतिवादीगण को उक्त वाद की सूचना जरिए अखबार साया करवाए जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.2019 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमारे द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत 2009 से 2012 की खसरा गिरदावरी में रामदेव वल्द श्री नारायण कौम ब्राह्मण बतौर उपकृषक दर्ज होकर काश्त किया जाना साबित है तथा उसके बाद की भी खसरा गिरदावरीयों में भी वर्तमान रेस्पोडेन्टस के पूर्वजों का काश्त किया जाना साबित है किन्तु राजस्व सेटलमेंट द्वारा कब्जे के विरूद्ध प्रथम पर्चा सेटलमेंट गलत रूप से रूपनारायण वल्द विद्याधर कौम ब्राह्मण के नाम खुदकाश्त होना अंकन किया गया।

जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या 6, मिलान क्षेत्रफल, भू प्रबंध विभाग खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय, विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2014 एवं नामांतरकरण संख्या 539 प्रस्तुत किए।

प्रदर्श–1 हाल जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 76 में वर्तमान खातेदारी गोविन्दनारायण, सावंरमल, दीनदयाल, मदनलाल पिसरान भंवरलाल हिस्सा 1/5, गंगासहाय, छीतरमल, गिरधारी पिसरान रूपनारायण हिस्सा 3/5 गोविन्दनारायण पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/5 कौम ब्राहमण सा0 बिचून दर्ज है एवं तत्पश्चात ना0स0 539 दिनांक 13.6.2016 के विक्रयपत्र से गंगासहाय पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहमण हिस्सा 1/5 के बजाय राजेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वरलाल जाटि हिस्सा 1/5 सा0देह खातेदार के नाम स्वीकार है।

प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 2030 में कॉलम संख्या 40 में काश्तकार के रूप में आनन्दीलाल पुत्र रामदेव ब्राहमण मौखमपुरा दर्ज है।

इसी प्रकार प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी संवत 2019 से 2020 में कॉलम संख्या 24 स्व0 श्योकरण व आनन्दीलाल दर्ज है,

प्रदर्श 6 खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2018 के कॉलम संख्या 6 में खातेदार रामदेव वल्द श्रीनारायण ब्राहमण एवं कॉलम संख्या 16, 32 व 40 में आनन्दीलाल दर्ज है।

तत्पश्चात प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी संवत 2031 से 2034 में कॉलम संख्या 6 में नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 16.8.1972 से खातेदार घीसीदेवी बेवा रूपनारायण कौम ब्राहमण सा0देह कॉलम संख्या 16, 24 में आनन्दीलाल पुत्र रामदेव ब्राहमण दर्ज है।

उक्त समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त वर्तमान रेस्पोडेंटस के पिता रामदेव व उसके पश्चात आनन्दीलाल का व उनके बाद उनके वारिसानों का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त होना पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में जो साक्ष्य व गवाहान प्रस्तुत किए है उनसे विवादित आराजीयात पर उनका कब्जा काश्त

होना बखूबी साबित होता है, तथा प्रथम सेटलमेंट में पर्चा गलत रूप से अपीलांट के पूर्वज के नाम जारी हुआ है।

इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में " *वाद विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 2 लगायत 5, 6/1 लगायत 6/4 व 7 डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 585 रकबा 0.46 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद में दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5, 6/1 लगायत 6/4 व 7 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण/रेस्पोडेंट को 4/5 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने के आदेश पारित किए गए।* " अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर पाने में विफल रहे है। वर्तमान रेस्पोडेंट/वादीगण द्वारा अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त अपील को बखूबी अपने पक्ष में साबित किया है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज 431

" Rajasthan tenancy act section 19(1) with reference to the revenue laws of the former jaipur state, khasra girdawari was ana annual register person whose name is entered therein as a sub tenant is entitled to khatedari rights it is not necessary for him to file a declaratory suit before assistant collector. "

जयपुर स्टेट में खसरा गिरदावरी को एन्यूवल "Annual record of right" माना जाता और जब उसमें इंद्राज है तो उप–कृषक स्वयं अपने आप खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

सूरजमल बनाम दी स्टेट (हाई कोर्ट0) पेज 173

(a) Girdawari is relevant u/s 35 evidence act and no format proof is required by production of the officer who prepared it.

(b) Raj.land revenue act sec 140, 132&114-evidence act, sec 35-contents of record of rights-presumption of correctness of khasra.

The case came up from jaipur, and by reference to the revenue laws of the former jaipur state, which were then in force, it was held that khasra girdawari was an annual register, and the law laid down a presumption that the entries made therein were true.

स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बालूराम (आर0आर0डी0 1990 पेज 630)

1996(3)आर0बी0जे पेज 213

1996(3)आर0बी0जे पेज 214

रामप्रसाद बनाम श्रीमती रूकमा देवी

रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन में प्रमुख न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए व प्रस्तुत समस्त न्यायिक नजीरों का न्यायालय हाजा द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया व उक्त नजीरे प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 36/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2020 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर